न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रैक) जमवारामगढ, जिला जयपुर

मिसल नम्बर 198/2021

1. पांची देवी पत्नी बद्रीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
2. सीता देवी पत्नी कल्याण सहाय जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.........वादीगण

बनाम

1. बदरी पुत्र रेवड जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

....
प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
1. श्री रामकरण शर्मा वकील वादीगण
2 पेरोकार सरकार

अंतिम निर्णय

दावा बाबत तकासमा sec 53, R. T. Act 1955

निर्णय दिनांक 25/7/23

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टोडामीणा पटवार मण्डल टोडामीणा तहसील जमवारामगढ में कृषि भूमि स्थित आराजीयात खाता संख्या 286 के खसरा नम्बर 450 रकबा 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450/1346 रकबा 0.0100 हैक्टेयर जिसमे वादी व प्रतिवादी सहखातेदार है जिसमे सभी सहखातेदार आपसी मनबट एवं सहुलियत से काश्त करते है तथा अपने हिस्से पर काबिज है जिसका अभी विधिक रूप से तकासमा नहीं हुआ है अतः उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त के आधार व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादीगण के 5/12, 5/12 हिस्साअनुसार खाता कायम किया जाकर नक्शा तरमीम किया जावे तथा इसी अनुसार वादीगण का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 बदरी दिनांक 7.7.2022 को स्वयं उपस्थित आया तथा कोई जवाब दावा पेश नहीं किया । प्रतिवादी को जवाब हेतु समय दिया गया । दिनांक 29.8.2022 को प्रतिवादी ना तो स्वयं उपस्थित आया ना ही इनकी ओर से कोई

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

वकील उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 के विरूध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा दिनांक 29.8.2023 को वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार से कुर्रेजात के प्रस्ताव चाहे गये । तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्र कमांक एलआर/23/1735 दिनांक 7.6..2023 द्वारा कुर्रेजात के प्रस्ताव भिजवाये गये जिनको शामिल मिसल किया गया ।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनने व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं तहसीलदार जमवारामगढ से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बहस सुनने व अवलोकन करने पर हम वादी के वाद में अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है । अतः ग्राम टोडामीणा पटवार मण्डल टोडामीणा तहसील जमवारामगढ में

स्थित कृषि भूमि आराजीयात खाता संख्या 286 के खसरा नम्बर 450 रकबा 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450/1346 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमियो के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण मे अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जाती है तथा आगे निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर बंटवारा कायम किया जाता है । उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा धोषित किया जाता है ।

विभाजन की स्थिति :– प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार

क. सं.	प्रस्तावित विभाजन खातेदार का विवरण मय पता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.	किस्म	लगान
1	पांची देवी पत्नी बद्रीनारायण हि0 1/2 , सीतादेवी पत्नी कल्याणसहाय हि0 1/2 जाति मीणा निवासी सा0देह खातेदार	450	0.94	बारानी प्रथम	
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.94	बारानी प्रथम	
2	बदरी पुत्र रेवड जाति मीणा सा0 देह खातेदार	450/1	0.19	बारानी प्रथम	
		कुल 1	कुल रकबा 0.94	चाही 3	
3	पांची देवी पत्नी बद्रीनारायण हि0 5/12 , सीतादेवी पत्नी कल्याण सहाय हि0 5/12 , बदरी पुत्र रेवड हि. 1/6 जाति मीणा सा देह खातेदार	450/1346	0.01	गै.मु. चाह	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

उपरोक्त अनुसार अन्तिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिकी पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्ध किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एंक दुसरे के उपयोग उपभोग मे बांधा दखल नही करें । अंन्तिम पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

निर्णय आज दिनांक 24/7/23 को खुले इजलाश में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ

मुकदमा इबताई (रूल्स 18–21)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर बइजलास श्री चिमनलाल मीना

आर०ए०एस

मिसल नम्बर 198 / 2021

1. पांची देवी पत्नी बद्रीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
2. सीता देवी पत्नी कल्याण सहाय जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.........वादीगण

बनाम

1. बदरी पुत्र रेवड जाति मीणा निवासी ग्राम टोडामीणा तहसील जमवारामगढ
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

....
प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री रामकरण शर्मा वकील वादीगण
2. पेरोकार सरकार

दावा बाबत तकासमा RT ACT 1955 sec 53

अन्तिम डिक्री दिनांक 24/7/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस व हाजिर श्री रामकरण शर्मा डवोकेट पेरोकार सरकार गिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय आदेशानुसार ग्राम टोडामीणा पटवार मण्डल टोडामीणा तहसील जमवारामगढ में कृषि भूमि स्थित आराजीयात खाता संख्या 286 के खसरा नम्बर 450 रकबा 1.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 450 / 1346 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमियो के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जाती है तथा आगे निम्न प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर बंटवारा कायम किया जाता है । इसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है ।

विभाजन की स्थिति :– प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

विभाजन की स्थिति :– प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार

क्र.सं.	प्रस्तावित विभाजन खातेदार का विवरण मय पता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.	किस्म	लगान
1	पांची देवी पत्नी बद्रीनारायण हि0 1/2 , सीतादेवी पत्नी कल्याणसहाय हि0 1/2 जाति मीणा निवासी सा0देह खातेदार	450	0.94	बारानी प्रथम	
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.94	बारानी प्रथम	
2	बदरी पुत्र रेवड जाति मीणा सा0 देह खातेदार	450/1	0.19	बारानी प्रथम	
		कुल 1	कुल रकबा 0.94	चाही 3	
3	पांची देवी पत्नी बद्रीनारायण हि0 5/12 , सीतादेवी पत्नी कल्याण सहाय हि0 5/12 , बदरी पुत्र रेवड हि. 1/6 जाति मीणा सा. देह. खातेदार	450/1346	0.01	गै.मु. चाह	

उपरोक्त अनुसार अन्तिम निर्णय पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्ध किया जाता है कि बंटवारे अनुसार कोई भी पक्षकार एंक दुसरे के उपयोग उपभोग मे बांधा दखल नही करें । अंन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

निर्णय आज दिनांक 21/7/23 को खुले इजलाश में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर
जमवारामगढ